कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर (छ0ग0)

//परिशोधित आदेश//

क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1849/2020 बिलासपुर, दिनांक 20 मई, 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के संदर्भ में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1705/2020 बिलासपुर दिनांक– 03/05/2020 एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1707/2020 बिलासपुर दिनांक– 04 मई, 2020 एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1796/2020 बिलासपुर दिनांक 14 मई, 2020 के द्वारा, निर्माण, उद्योग, शासकीय/निजी कार्यालय, उचित मूल्य की दुकाने, गैस एजेंसी, हास्पिटल, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे, टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेन्ट, पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार एवं दुकानों के संचालन हेतु निर्धारित समय प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 05 बजे के स्थान पर, आदेश के इस अंश में आंशिक संशोधन किया जाता है, अब उक्त सभी बाजार एवं दुकाने प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1750/2020 बिलासपुर दिनांक– 08 मई, 2020 के अनुसार सम्पूर्ण बिलासपुर जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में, प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 07:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक सम्पूर्ण बाजार/दुकानें यथा सम्पूर्ण गतिविधियां पूर्ववत बंद रखी जायेंगी अर्थात शनिवार तथा रविवार को पूर्ण लाकडाउन रहेगा। किन्तु उपरोक्त आदेश में प्रतिबंध से बाहर रखे गये प्रतिष्ठानों/सेवाओं को दी गयी छूट इस आदेश में भी पूर्ववत लागू रहेंगी।

पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉट्स एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा उपरोक्त अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी।

20/5/20

(डॉ0 संजय कुमार अलंग)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

पृ0क्र0/रीडर–जि0दण्डा/1849-A/2020 बिलासपुर, दिनांक 20 मई, 2020

प्रतिलिपि–

1– अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर को सादर सम्प्रेषित।

2– सचिव, छ0ग0 शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को सादर सम्प्रेषित।

3– सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सादर सम्प्रेषित।

4– आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सम्प्रेषित।

5– पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर को सादर सम्प्रेषित।

6– पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8– आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned with CamScanner

10– सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी .... जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

11– सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी /नगर पंचायत .... जिला– बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

12– सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला– बिलासपुर........... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13– सर्व तहसीलदार/ कार्यपालिक दण्डाधिकारी ....जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14– सर्व थाना प्रभारी,..जिला– बिलासपुर को सूचनार्थ, **उक्त आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 188 के तहत संबंधित के विरूद्व विधिवत कार्यवाही सुनिश्चित करें। वे इस हेतु प्राधिकृत प्राधिकार होंगे।**

15– उप संचालक जनसम्पर्क बिलासपुर को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

16– सर्व संबंधित .... को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

COLLECTOR BILASPUR (CH

Scanned with CamScanner